

## **Regarding recognition of Tribal community under the separate Sarna religious code for the adivasis**

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी (नन्दुरबार): सभापति महोदया, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि 1931 की जनगणना के दौरान, जब देश में ब्रिटिश शासन था, तब जिन्हें हम आज गर्व से एसटी, यानी आदिवासी कहते हैं, उन्हें एक अलग श्रेणी ट्राइबल के अंतर्गत गिना गया था। यह श्रेणी हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी जैसे प्रमुख धर्मों के साथ बराबरी से सूचीबद्ध थी। उस जनगणना में 82,50,000 से ज्यादा आदिवासियों को अलग दर्जा दिया गया था और साथ ही यह भी कहा गया था कि आदिवासियों की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान किसी अन्य संगठित धर्म के साथ समाहित नहीं होती है।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि कांस्टिट्यूशन ऑर्डर, 1950 में भी कहा गया है और उसी तरह से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की गाइडलाइन्स के दिशा-निर्देशों की भावना के भी विरुद्ध है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुसूचित आदिवासी की स्थिति धर्म से स्वतंत्र है।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि, In 2011 in Ram Ratan Case, the hon. Supreme Court noted that the Scheduled Tribes in Madhya Pradesh, like the Gonds, have distinct customary and religious practices. Their customary laws govern their social life and not the codified laws.

In 2020 also, the hon. Supreme Court made an observation regarding the separate Sarna religious code for the adivasis. The Union Government has acknowledged in affidavits that many tribals do not identify as Hindu, but are Sarna followers or traditional animists.

In 2021, the Orissa High Court also confirmed and requested the Government to adopt a separate Sarna religion in the Census for tribal faiths.

मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि ट्राइबल या आदिवासी को जनगणना प्रपत्र और सभी सरकारी अभिलेखों में एक वैध और अलग धार्मिक श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि हमारे आदिवासी भाई-बहनों की पहचान कभी भी कमजोर तरीके से प्रस्तुत न की जाए। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि हम अपने संविधान की भावनाओं का सम्मान करें और आदिवासियों की सांस्कृतिक विलुप्ति से बचाएं। हम अपने उन पूर्वजों की विरासत का सम्मान करें, जिन्होंने हमारे जंगल, जमीन और अद्वितीय जीवन पद्धति की रक्षा के लिए संघर्ष किया है।